

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम-मण्डावर (दौसा)

उनवान रामस्वरूप बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा

किस्म मुकदमा -नाम दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 32 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.नं. 32/23 (विविध)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26.06.23	<p>प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 शिविर ग्राम पुन्दरपाडा में प्रार्थी सुसया राम पुत्र सुकल्याराम जाति मीना निवासी दुलावा तहसील बैजूपाडा द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम समस्त दस्तावेजात में रामस्वरूप पुत्र गंगल्या मीना है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम सहवन से छोड़या पुत्र गंगल्या दर्ज हो गया है जो कि गलत है । राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम छोड़या पुत्र गंगल्या को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर रामस्वरूप पुत्र गंगल्या दर्ज कर दुरुस्त किये जाने के हेतु निवेदन किया।</p> <p>प्रार्थना पत्र ताईद में दस्तावेजात ग्राम पंचायत पुन्दरपाडा को प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, इंडियन ओवरसीज बैंक की पासबुक एवं वोटर आई.डी. कार्ड, राशन कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोप्रति पेश किये।</p> <p>प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत् पटवारी हल्का पुन्दरपाडा, भू0अ0नि0 गोलाडा तहसीलदार बैजूपाडा, ग्राम पंचायत बैजूपाडा की संयुक्त जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। जिसके अनुसार ग्राम दुलावा में वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074-77 के खाता संख्या 48 पर छोड़या पुत्र गंगल्या हिस्सा 1/5 जाति मीना रहन यूकों बैंक शाखा बडियाल कलों में दर्ज रिकॉर्ड है। छोड़या पुत्र गंगल्या एवं रामस्वरूप पुत्र गंगल्या मीना नाम के एक ही व्यक्ति है जिसको गांव में दोनो नाम से जाना जाता है और ग्राम दुलावा तहसील बैजूपाडा के खाता संख्या 48 पर छोड़या पुत्र गंगल्या के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र गंगल्या दुरुस्त किये जाने की अभिषंशा की गई।</p> <p>पटवारी हल्का पुन्दरपाडा, भू0अ0नि0 गोलाडा तहसीलदार बैजूपाडा, ग्राम पंचायत बैजूपाडा की एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात तथा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं शिविर में उपस्थित आमजन से जानकारी ली गई। प्रार्थी का शुद्ध नाम रामस्वरूप पुत्र गंगल्या होना पाया गया।</p> <p>उपरोक्त विवेचन के आधार पर छोड़या पुत्र गंगल्या अशुद्ध नाम के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र गंगल्या किया जाना उचित प्रतित होता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधि0 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम दुलावा में वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074-77 के खाता संख्या 48 में प्रार्थी का नाम छोड़या पुत्र गंगल्या को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर रामस्वरूप पुत्र गंगल्या दर्ज किया जावे। शेष इन्द्रजात/ जमाबंदी यथावत रहेगा। तहसीलदार बैजूपाडा नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे। यूकों बैंक शाखा बडियाल कलों को सूचना प्रेषित की जावे। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर,, फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>यह आदेश प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 कैम्प दिनांक 26/06/2023 को लिखा जाकर सुनाया गया।</p>	



(भावना शर्मा, RAS)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)